

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3  
संख्या-598 /8-3-17-06 महा/14  
लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-1172/8-3-14-107 विविध/10 लखनऊ दिनांक 22 जुलाई, 2014 के द्वारा गठित समिति को सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:-

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग<br>(जो आवास बन्धु में अधिशासी निदेशक/मुख्य कार्यपालक<br>अधिकारी के रूप में कार्यरत हों) | अध्यक्ष      |
| 2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0  | सदस्य        |
| 3. प्रधानाचार्य, राजकीय आर्कीटेक्चर कालेज, लखनऊ  | सदस्य        |
| 4. निदेशक, आवास बन्धु।   | सदस्य/संयोजक |
| 5. सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु  | सदस्य        |
| 6. मुख्य अभियंता, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।   | सदस्य        |

मुकुल सिंहल  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समिति के समस्त सदस्यगण।
2. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसकी प्रतियां समस्त सम्बंधित को अपने स्तर से भेजने/यथानिर्दिष्ट समिति की बैठकें आहूत किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)  
विशेष सचिव